न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 77/2017

उनवान

1. मुरजमल पुत्र रामू उर्फ रामलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र नारायण,
3. रामगोपाल पुत्र नारायण,
4. भंवरलाल पुत्र नारायण,
   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. आंची देवी पत्नी मोहनलाल,
6. अविनाश पुत्र मोहनलाल,
7. अरूण पुत्र मोहनलाल,
8. अभिषेक पुत्र मोहनलाल,
   समस्त जाति बलाई निवासी प्लाट नम्बर 05 शिव शक्ति स्टोर के पास गुरलीपुरा स्कीम जयपुर।
9. रूकमा देवी पत्नी जगदीश,
10. ममता पत्नी भंवर,
    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक– 13/11/2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, भू.अभि.नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि नया खाता संख्या 269 में वर्णित खसरा नम्बर 1276/1938, 1278/1781, 1278/1939, 1287, 1288, 1289 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं नया खाता संख्या 317 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1277 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 भाग प्रार्थी का एवं शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 व 10 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाके ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, भू.अभि.नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि [illegible] खसरा नम्बर 1275, 1276, 1278 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.61 [illegible] संख्या 2 ता 8 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा मद संख्या 1 [illegible] प्रार्थी की भूमि के लगती अप्रार्थीगण की भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी [illegible]दारी काश्तकार है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.05.2017 को उक्त वर्णित आराजी भूमि 1277, 1276/1938, 1278/1781, 1278/1939, 1288 के सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

27.05.2017 को सीमाज्ञान हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चौमूं के आदेश क्रमांक/भू.अ./17/1891 दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में दिनांक 27.05.2017 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पंहुचकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष मै०मु० चाह खसरा नम्बर 1287 को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान् को समझाई गई थी तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये तदोपरान्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी का निवेदन अप्रार्थीगण से किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 द्वारा सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी नहीं करने दी गई जिस कारण सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1277, 1276/1938, 1278/1781, 1278/1939, 1288 की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट कंवरपुरा में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजीयात् के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 27.05.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा०पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश/अपील विचाराधीन नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2017 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner